पत्रांक–05 / ना०सू०(आवंटन)–04 / 2026 / न०वि०आ०– 91

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

नागरिक सुविधा
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 21/10/26

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में देवघर नगर निगम को 'नागरिक सुविधा' मद अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से कुल राशि रु० 2,10,00,000/- (दो करोड़ दस लाख रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति।

आदेशः– नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम के पत्रांक–1961, दिनांक–19.09.2026 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में देवघर नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होनेवाले ठोस कचरों के संग्रहण एवं परिवहन की बेहतर व्यवस्था तथा सार्वजनिक मार्गों पर यातायात में अवरोध एवं अनुचित पार्किंग की रोकथाम तथा प्रभावी यातायात / Enforcement व्यवस्था हेतु वाहन / उपकरण के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में देवघर नगर निगम को 'नागरिक सुविधा' मद अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से कुल राशि रु० 2,10,00,000/- (दो करोड़ दस लाख रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति निम्न रूप से प्रदान की जाती हैः–

क्र०	विवरणी	मात्रा	इकाई लागत	अनुमानित लागत	स्वीकृत राशि
1	Garbage Tipper with Dustbin Lifter	10	1500000	15000000	15000000
2	Truck-Mounted Towing Vehicle (Recovery Truck)	02	3000000	6000000	6000000
				कुल	**2,10,00,000**

2. देवघर नगर निगम को निदेशित किया जाता है कि उक्त सामग्री का तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

3. स्वीकृत राशि का निकासी आवंटन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नवत् शीर्षों में उपबंधित राशि से की जाएगीः–

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि (रु० करोड़ में)
मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191 –नगर निगमों को सहायता–उपशीर्ष–34–शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा सुरक्षा सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान–01–शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, सामुदायिक / विवाह भवन, पार्क, शवदाह गृह का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48-S-2217-80-191-34-01-06-79	105.66

4. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी, देवघर नगर निगम होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी देवघर कोषागार से वित्तीय वर्ष 2026–27 में की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। ऐसी स्थिति आने पर इसके निराकरण हेतु सूचना विभाग को ससमय देंगे।

(477)

6. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9. इस राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 के कंडिका–5 के अनुसार उल्लेखित स्वीकृत राशि का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

21.10.26

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05/ना०सू०(आवंटन)–04/2026/न०वि०आ०–91, राँची, दि०–21/10/26

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के अपर मुख्य सचिव/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/संयुक्त सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, कोषागार/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री उत्कर्ष, आईटी विशेषज्ञ, राज्य शहरी विकास अभिकरण (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.10.26

सरकार के प्रधान सचिव।